



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0अ0-माजरा, देहरादून
फोन-0135-2641115 फैक्स-2641314 PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाष्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2018 [UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2018] पर सुझाव आमंत्रण

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h), 86(1)(e) सपठित धारा 181(zd) एवं (zp) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् आयोग द्वारा प्रारूप, उविनिआ (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाष्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2018 जारी किया गया है प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in में अपलोड किया गया है

उक्त प्रारूप विनियम पर सभी स्टैकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियां, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक **21.05.2018** तक लिखित रूप से डाक द्वारा उपरोक्त पते पर, ई-मेल या स्वयं उपस्थित होकर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं

निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर उक्त विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा